न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 08/2022 – निगरानी

1. भंवर लाल पुत्र हेमा जाट निवासी रूपाहेली तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. शंकर लाल तेली पुत्र जमना लाल तेली निवासी–रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत रूपाहेली पं.सं. सुवाणा जिला भीलवाड़ा जरिये संरपच ग्राम पंचायत रूपाहेली प.सं. सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत रूपाहेली पं.सं. सुवाणा जिला भीलवाड़ा जरिये ग्राम विकास अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत रूपाहेली पं.सं. सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत रूपाहेली पंचायत समिति सुवाणा मिसल संख्या 36 सन् 2016–17 दिनांक 06/06/2016 के जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 20/09/2016

उपस्थित –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री चितरंजन पाण्डे अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.06.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार ग्राम रूपाहेली का मूल निवासी होकर मौतबीर व्यक्ति होकर व निगराकार के मकान के पास ही गैर निगराकार संख्या 01 निवास करता है। गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे गैर निगराकार सख्या 02 एवं 03 द्वारा वाके आबादी हल्का रूपाहेली ग्राम पंचायत रूपाहेली पंचायत समिति सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा मे पडौस पूर्व में आमरास्ता, पश्चिम में कालू पुत्र कन्हैया लाल तेली, उत्तर मे आम रास्ता, दक्षिण मे लादु पुत्र घीसा तेली का जारी किया गया है, जो कि रास्ते की भूमि को मिलाकर पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है, जिसे निरस्तीकरण किया जाना आवश्यक है। गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जो तथाकथित पट्टा जारी किया है, जो कि पूर्वी दिशा की तरफ विद्यमान रास्ते की 10 फीट व उत्तरी दिशा की तरफ विद्यमान रास्ते की 04 फीट की भूमि को शामिल कराते हुए गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 से मिलीभगती कर रास्ते की

अति. जिला कलक्टर

कि पूर्वी दिशा की तरफ विद्यमान रास्ते की 10 फीट व उत्तरी दिशा की तरफ विद्यमान रास्ते की 04 फीट की भूमि को शामिल कराते हुए रास्ते की भूमि का गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में तथाकथित पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा विधिवत रूप से बिना मौके पर जांच पड़ताल किये व बिना किसी प्रकार से आम सूचना प्रकाशित किये गुपचुप तरीके से उक्त पट्टा जारी करवाया गया है, जो अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा जो अपना मकान के चारदीवारी कर रखी है, उसके आगे रास्ता विद्यमान है, जिसका उपयोग उपभोग आम जन करते चले आ रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पुश्तैनी कब्जेशुदा जायदाद जिसके चारदीवारी तक की हद का पट्टा जारी होना चाहिये था। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नही की गयी, इस कारण से पट्टा विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 ने नियम 147–148 की पालना भी विधिवत नही की, न ही कोई ग्राम पंचायत रूपाहेली व ग्राम रूपाहेली मे पट्टेशुदा भूमि की सूचना बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष मे जारी किया गया मिसल संख्या 36 सन् 2016–17 दिनांक 06/06/2016 के जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 20/09/2016 को निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 01 के पुश्तैनी मकान पर 157 (1) के तहत पट्टा जारी किया है जमीन पंचायत के नियंत्रण में थी व नक्शा आदि देखकर पूर्ण अवलोकन के बाद पट्टा जारी किया गया है जो विधि के अनुरूप जारी किया गया है। गैर निगराकार संख्या 01 को विधिनुरुप सम्बन्धित प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया हैं। निगराकार को कोई भी आपति थी, तो पंचायत समिति के समक्ष अपनी बात रखते। अपनी आपति दर्ज करवाते। जांच करवाते। यदि नियमों की अवहेलना की होती, तो पंचायत समिति स्वयं अपने स्तर पर ही कार्यवाही करती। निगराकार ने मनमाने तौर पर नियमों की अवहेलना कर निगरानी पेश की जो विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।निगराकार अपनी आपति पंचायत समिति के पास रिपोर्ट कर जांच करवा सकता था। सम्बन्धित पंचायत समिति से या ग्राम सेवक/पटवारी से नक्शा प्राप्त कर जानकारी

कर सकता था, कि प्रार्थी गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा 10 फिट रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर पट्टा प्राप्त किया हैं, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी की तरह साफ हो जाता कि पट्टा गलत तौर प्राप्त किया हैं ,परन्तु निगराकार स्वयं यह जानता था कि पट्टा विधिनुरुप एवं सही तौर पर जारी किया गया है। गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा सम्पूर्ण नियमों की पालना कर मौका स्थल पर जाकर मौके की मौका रिपोर्ट बनाकर, सार्वजनिक आपति जारी कर व आपति अवसान के बाद पट्टा जारी किया गया है जो कतई गलत नहीं है तत्पश्चात पट्टे का पंजीयन भी करवा दिया गया है। यदि किसी भी प्रकार की कोई आपति होती तो सम्बन्धित अधिकारी अपने कर्तव्यों से विमुख नही होकर आपत्ति का निराकरण कर पंजीयन आदि कराते। विधि की दृष्टि से निगराकार को उक्त निगरानी पेश करने की लॉकस स्टेण्डी नहीं हैं। निगराकार द्वारा जो निगरानी पेश की गई है वह वर्ष 2022 में प्रस्तुत की गई हैं जबकि तथाकथित पट्टा 2016 तथा निगरानी के साथ पेश की गई मियान अधिनियम की धारा –05 के तहत् आवेदन में निगरानी देरी से पेश करने का कोई बुनियादी कारण दिन प्रतिदिन का कोई गणना प्रस्तुत नहीं की गई हैं इस कारण भी निगरानी बेरून मियाद होकर काबिले खारिज हैं। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी सव्यय खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि कार्यालय पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाडा के पत्रांक/पंससु/पंचा./2023/2014 दिनांक 03.01.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत पटटा भूखण्ड पर कोई घर या रहवास नही बना हुआ हैं। उक्त भूखण्ड पर 02 दुकानें बनाकर व्यावसायिक गतिविधि का संचालन किया जा रहा है। उक्त पटटे का माप लगभग 7.3 फीट गांव के मुख्य मार्ग पर आ रहा हैं, अगर पटटे की भूमि पर यदि शंकरलाल तेली पुत्र जमना लाल तेली निर्माण करवाता है तो गांव के रास्ते का आवागमन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। उक्त भूखण्ड पर चबुतरी का निर्माण किया हुआ हैं जिससे गली में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण नहीं हो पा रहा हैं और गंदा पानी पूरी रोड पर फैला हुआ हैं। उक्त पटटा रास्ते की भूमि पर 7.3 फीट अवस्थित हैं।''

इस प्रकार पंचायत समिति सुवाणा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत पटटा विपक्षी संख्या 01 को रास्ते की भूमि पर 7.3 फीट तक का पटटा जारी किया गया है जो नियम विरूद्व हैं। रास्ते की भूमि पर नियम विरूद्व जारी पटटे के आधार पर विपक्षी संख्या

01 ने चबुतरी का निर्माण करा नाली निर्माण को अवरूद्व किया हैं जिससे पूरे गांव में गंदा पानी रोड पर फैल रहा हैं। जिससे गांव की स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा हैं। उपरोक्त तथ्यों को मध्येनजर रखते हुये प्रश्नगत पटटे के क्षैत्रफल में से 7.3 फीट रास्ते की भूमि को कम करते हुये शेष क्षैत्रफल का पटटा यथावत रखा जाने योग्य ठहरता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत रूपाहेली पंचायत समिति सुवाणा तहसील भीलवाडा की मिसल संख्या 36 दिनांकित 06.06.2016 से जारी पटटा संख्या 43 दिनांकित 20.09.2016 के क्षैत्रफल में से 7.3 रास्ते की भूमि को कम/निरस्त करते हुये शेष क्षैत्रफल का पटटा यथावत रखा जाता हैं। ग्राम पंचायत रूपाहेली पंचायत समिति सुवाणा को निर्देशित किया जाता हैं उक्त प्रश्नगत पटटा संख्या 43 में से रास्ते की 7.3 फीट को कब्जेराज लिया जाकर, उस भूखण्ड हिस्से को ग्राम उत्थान हेतु काम में लिया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत रूपाहेली पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा